30/7/18 आज पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान [illegible] आदेशानुसार दिनांक 20/4/18 को पेश हो।

20/4/18 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पी.ओ. साहब ~~राजकार्य से बाहर/व्यस्त है~~ अवकाश पर है। अतः आदेशानुसार दिनांक 11/5/18 को पेश हो।

11/5/18 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पी.ओ. साहब राजकार्य से बाहर/व्यस्त है। अतः आदेशानुसार दिनांक 17/6/18 को पेश हो।

17/6/18 – आज यह पत्रावली राजस्थान लोक अदालत कैम्प कोर्ट महाजन में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। [?] कुरैशात प्राप्त हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक [?] कुरैशात वादी का वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील वादी द्वारा [?] को मद्देनजर [?] की संतुष्टि [?] जाकर बहक वादी का वाद मुताबिक डिक्री किया जाता है। डिक्री [?] के लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पश्चात डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या: 145/2014

रज्जु दिनांक: 28/07/2014

निर्णय दिनांक : 16/03/2016

जगदीश वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा जाति बलाई, निवासीः ग्राम हिम्मतपुरा पोस्ट मुण्डियारामसर, तहसील जयपुर जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

1. कल्याण पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासीः अवाणियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. पांचू पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासीः अवाणियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. वेदप्रकाश पुत्र रामकरण
4. ब्रहा प्रकाश पुत्र रामकरण
5. रामजीलाल पुत्र रामकरण
6. रमेशचन्द पुत्र रामकरण
7. सतीश कुमार पुत्र रामकरण

   समस्त जाति बैरवा, निवासीः अवाणियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. शिवकरण पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासीः अवाणियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

Scanned by CamScanner

उपस्थितः

श्री भैरूलाल शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांकः 16/03/2016

–ः निर्णय ः–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार खाता नंबर 247 की आराजी खसरा नंबर 1664 लगायत 1675, 1678 लगायत 1681 कुल किता 16 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसके वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा दर्ज जमाबंदी अनुसार सहखातेदार है तथा मौके पर बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की अविभाजित आराजीयात है पक्षगण मनबर के अनुसार बाहमी बंटवारा कर मौके पर काबिज काश्त है तथा अपने–अपने हिस्से अनुसार लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की सहखातेदारी भूमि है जिसका विधिक बंटवारा नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में अनावश्यक परेशानियां उत्पन्न करते है ज़िसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा वादी तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने अपने हिस्से की आराजीयात में काफी मेहनत व रूपया खर्च कर उपजाऊ मिट्‌टी डालकर, डोल लगाकर, मेड लगाकर, वर्षा का पांनी रोककर अधिक उपजाऊ बना लिया है प्रतिवादीगण वादी की हिस्से की भूमि पर जबरन काश्त करना चाहते है एवं चूंकि विवादग्रस्त आराजीयात का विधिक तकासमा नहीं होने से वादीगण को आयेदिन परेशानी का सामना करना पडता है। इसलिये वादी का बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स के अनुसार तकासमा किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 15/07/2014 का वाका है कि वादी अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर रहा था प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने ऐलानिया धमकी दी कि विवादग्रस्त आराजीयात का विधिक बंटवारा नहीं है तथा विधिक बंटवारा भी नहीं करायेगे इसलिये हम तुम्हारी उपजाऊ भूमि पर जबरन काश्त करेगे तुम

Scanned by CamScanner

अन्यत्र जाकर काश्त करो इसलिये वादी को आवश्यक हो गया कि मान्य न्यायालय ने वाद प्रस्तुत कर विधिक तकासमा करवा ले एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवा देवे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अपने अवैधानिक मंसूबे में कामयाब हो गया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई अर्थ में नहीं की जा सकेगी तथा मौके पर काबिज काश्त है इसलिये न्यायहित में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार को वाद तकासमा का होने से फोर्मल पक्षकार कायम किया गया है उनके विरूद्ध कोई दादरसी नहीं चाही गई है।

वादी ने वाद मे अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद बाबत तकासमा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 डिक्री किया जाकर हाल खसरा नंबर 1664 लगायत 1675, 1678 लगायत 1681 कुल किता 16 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान का बंटवारा वादी के हक में बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स वादी के हक में इकजाई करते हुये किया जावें एवं फाट बन्दी कर लगान अलहदा अलहदा कायम किया जावे एवं निर्णय व डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे। वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को जरिये स्थायी निषेधाा से पाबंद किया जावे वादी के हक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग बेजामजामत न स्वयं करे, न नौकर चाकर आदि से करावे एवं वादी के कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे एवं बिना बंटवारा रहन, बेय, मुन्तकिल, न करे तथा वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे एवं खाम एवं पुख्ता निर्माण नहीं करे। सब पाबंद रहे। खर्चा मुकदमा वाद वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 16.02.2015 को वकील वादी के निवेदन पर रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी करवाने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 15.04.2015 को वकील वादी द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी की रसीदे पेश की शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 15.12.2015 को वकील वादी के निवेदन को स्वीकार कर प्रतिवादी की तलबी जरिये अखबार साया करवाने हेतु वकील वादी को आदेशित किया गया। दिनांक 24.02.2016 को

Scanned by CamScanner

वकील वादी ने अखबार की प्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्व बावजूद अखबार साया तामील होने पर न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी, रजिस्टर्ड ए.डी रसीदे, अखबार की प्रति इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मैने यह पाया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 1664 लगायत 1675, 1678 लगायत 1681 कुल किता 16 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान की आराजीयात में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वर्तमान में आराजीयात अविभाजित है। वादी ने वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्वान्त अनुसार तकासमा करवाना चाहा है जिसे न्यायहित में स्वीकार कर, खसरा नंबर 1664 लगायत 1675, 1678 लगायत 1681 कुल किता 16 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्वान्त अनुसार तकासमा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 1664 लगायत 1675, 1678 लगायत 1681 कुल किता 16 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्वान्त अनुसार तकासमा किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार मौजमाबाद को तहरीर जारी हो कि मुताबिक निर्णय नक्शे कुरेजात तैयार कर दो–दो प्रतियो में भिजवाये।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू, जिला जयपुर

वकील वादी ने अखबार की प्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध बावजूद अखबार साया तामील होने पर न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी, रजिस्टर्ड ए.डी रसीदे, अखबार की प्रति इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मैने यह पाया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 1664 लगायत 1675, 1678 लगायत 1681 कुल किता 16 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान की आराजीयात में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वर्तमान में आराजीयात अविभाजित है। वादी ने वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार तकासमा करवाना चाहा है जिसे न्यायहित में स्वीकार कर, खसरा नंबर 1664 लगायत 1675, 1678 लगायत 1681 कुल किता 16 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार तकासमा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 1664 लगायत 1675, 1678 लगायत 1681 कुल किता 16 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार तकासमा किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार मौजमाबाद को तहरीर जारी हो कि मुताबिक निर्णय नक्शे कुरेजात तैयार कर दो–दो प्रतियो में भिजवाये।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

प्रारम्भिक डिक्री

अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (शिविर) दूदू, जिला - जयपुर

मुकाम श्री सावन कुमार चौधरी आर.ए.एस.

मुद्दई पुत्र श्री रामसहाय वर्मा बनाम 1. कल्याण 2. प्रभु पुत्रान नारायण, 3. कृष्ण 4. हनुमान ... 4. कृष्ण टेकारा पुत्रान रामकरण जाति-बलाई, निवासी ग्राम ... प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा वस्ते नक्शा ... मुकदमा न. 145/2014 ... निवासी अवलिमात ... ग्राम व अन्य

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री ... मिनजानिब मुद्दई रूबरू

व ... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर ख.नं. 1664 लगायत 1675, 1678 लगायत 1681 कुल किता 16 कुल रकबा 3.59 हैक्टर वाकै ग्राम महल्ला, तहसील ...बाद, जिला जयपुर, राजस्थान की आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के मध्य ... मीटर एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार तकासमा किया जाता है मुबलिग ... बाबत

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद वगैरह ... फीसदी ... ता अदा की तारीख से

तारीख अदायगी तक ... का अदा करे।

आज बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 3 सन् 2016 को

जारी की गई।

दस्तखत [signature] (कलेक्टर) ... दूदू

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र
ग्राम पंचायत महलां

प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या: 145/2014

प्रस्तुत दिनांक: 28/07/2014

निर्णय दिनांक : 17/06/2016

जगदीश वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा जाति बलाई, निवासी: ग्राम हिम्मतपुरा पोस्ट मुण्डियारामसर, तहसील जयपुर जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. कल्याण पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी: अवाणियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. पांचू पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी: अवाणियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. वेदप्रकाश पुत्र रामकरण
4. ब्रहा प्रकाश पुत्र रामकरण
5. रामजीलाल पुत्र रामकरण
6. रमेशचन्द पुत्र रामकरण
7. सतीश कुमार पुत्र रामकरण

   समस्त जाति बैरवा, निवासी: अवाणियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. शिवकरण पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी: अवाणियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:

श्री भैरूलाल शर्मा एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक: 17/06/2016

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत तकासमा स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि माबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार खाता नंबर 247 की आराजी खसरा बर 1664 लगायत 1675, 1678 लगायत 1681 कुल किता 16 कुल रकबा 3.59 क्टेयर भूमि वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसके वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा दर्ज जमाबंदी अनुसार सहखातेदार है तथा मौके पर बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की अविभाजित आराजीयात है पक्षगण मनबर के अनुसार बाहमी बंटवारा कर मौके पर काबिज काश्त है तथा अपने-अपने हिस्से अनुसार लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की सहखातेदारी भूमि है जिसका विधिक बंटवारा नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में अनावश्यक परेशानियां उत्पन्न करते है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा वादी तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने अपने हिस्से की आराजीयात में काफी मेहनत व रूपया खर्च कर उपजाऊ मिट्टी डालकर, डोल लगाकर, मेड लगाकर, वर्षा का पानी रोककर अधिक उपजाऊ बना लिया है प्रतिवादीगण वादी की हिस्से की भूमि पर जबरन काश्त करना चाहते है एवं चूंकि विवादग्रस्त आराजीयात का विधिक तकासमा नहीं होने से वादीगण को आयेदिन परेशानी का सामना करना पडता है। इसलिये वादी का बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स के अनुसार तकासमा किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 15/07/2014 का वाका है कि वादी अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर रहा था प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने ऐलानिया धमकी दी कि विवादग्रस्त आराजीयात का विधिक बंटवारा नहीं है तथा विधिक बंटवारा भी नहीं करायेगे इसलिये हम तुम्हारी उपजाऊ भूमि पर जबरन काश्त करेंगे तुम अन्यत्र जाकर काश्त करो इसलिये वादी को आवश्यक हो गया कि मान्य न्यायालय ने वाद प्रस्तुत कर विधिक तकासमा करवा ले एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवा देवे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अपने अवैधानिक मंसूबे में कामयाब हो गया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई अर्थ में नहीं की जा सकेगी तथा मौके पर काबिज काश्त है इसलिये

Scanned by CamScanner

...हित में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया ...ा आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार को वाद तकासमा का होने से ...ल पक्षकार कायम किया गया है उनके विरूद्व कोई दादरसी नहीं चाही गई

...वादी ने वाद मे अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह ...तोष चाहा है कि वादी का वाद बाबत तकासमा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी ...ख्या 1 लगायत 8 डिक्री किया जाकर हाल खसरा नंबर 1664 लगायत 1675, ...678 लगायत 1681 कुल किता 16 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां, ...हसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान का बंटवारा वादी के हक में बाई ...मेट्स एण्ड बोण्ड्स वादी के हक में इकजाई करते हुये किया जावें एवं फाट ...बन्दी कर लगान अलहदा अलहदा कायम किया जावे एवं निर्णय व डिक्री की ...पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे। वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे वादी के हक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग बेजामजामत न स्वयं करे, न नौकर चाकर आदि से करावे एवं वादी के कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे एवं बिना बंटवारा रहन, बेय, मुन्तकिल, न करे तथा वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे एवं खाम एवं पुख्ता निर्माण नहीं करे। सब पाबंद रहे। खर्चा मुकदमा वाद वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 16.02.2015 को वकील वादी के निवेदन पर रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी करवाने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 15.04.2015 को वकील वादी द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी की रसीदे पेश की शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 15.12.2015 को वकील वादी के निवेदन को स्वीकार कर प्रतिवादी की तलबी जरिये अखबार साया करवाने हेतु वकील वादी को आदेशित किया गया। दिनांक 24.02.2016 को वकील वादी ने अखबार की प्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्व बावजूद अखबार साया तामील होने पर न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

Scanned by CamScanner

बहस के तथ्यो पर मनन कर एवं पत्रावली के समस्त तथ्यो पर गौर कर दिनांक 16.03.2016 को वादी के वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 1664 लगायत 1675, 1678 लगायत 1681 कुल किता 16 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के मध्य वाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्वान्त अनुसार तकासमा किया गया। तहसीलदार मौजमाबाद को मुताबिक प्राथमिक डिक्री नक्शे कुरैजात तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट महलां में प्रस्तुत हुई। तहसीलदार मौजमाबाद से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये जो शामिल पत्रावली किये गये।

वकील वादी को सुना गया। नक्शे कुरेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नक्शे कुरैजात निर्णयानुसार प्राप्त हुये। वकील वादी द्वारा प्राप्त नक्शे कुरेजात अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात को सही पाया जाकर प्राप्त नक्शे कुरेजात अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित वाके ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर का पक्षकारान के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता हैः–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा है0
1.	जगदीश वर्मा पुत्र रामचन्द्र वर्मा जाति बलाई नि0 ग्राम हिम्मतपुरा पोस्ट मुण्डियारामसर तहसील व जिला जयपुर खातेदार।	1664	0.67
		1666	0.38
		1667	0.18
		1668	0.11
		1669	0.13
		1670	0.18
		1672	0.14
		1681	0.17
		8	1.96

Scanned by CamScanner

	कल्याण पांचूराम पि0 नारायण हि0 8/15 वेदप्रकाश ब्रहप्रकाश रामजीलाल रमेशचन्द सतीश कुमार पि0 रामकरण ब.हि.ब.हि. 4/15 शिवकरण पुत्र भूरा हि0 3/15 कौम बैरवा सा0 अवाणिया खातेदार।	1672	0.23
		1673	0.10
		1674	0.13
		1675	0.18
		1671	0.30
		1678	0.10
		1679	0.13
		1680	0.02
		1681	0.22
		9	1.41
3.	शामलाती खाता मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर रहा।	1665	0.22

तहसीलदार मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्व चाहा गया स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह निर्णयानुसार वादी के हिस्से में आयी आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत महलां में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

अंतिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू, जिला जयपुर

इजलास श्री भागचन्द कुमार पामल, आर.ए.एस.

...श वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र बनाम 1. कल्याण, 2. पोचू पुत्रान नारायण

...जाति बलाई नि0 दावा बाबत तकासमा एवं धारा 0 नियम 0 3. बैरवा/माली 4. ... जाति

...पुर जयपुर मुकदमा नं. 145/2014 ... रामफूललाल 6 रमेशचन्द

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मोहनलाल शर्मा एड0

...जिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिग्री ...

अतः वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजियात ... मौजा ... तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर ... पक्षकारान के मध्य तकासमा किया जाकर ... अलहदा-अलहदा किया जाता है। (२)

मुवक्लि .... वकील

इस मुकद्दमे के ... सूद ... बरशरह ....

... अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत ... व मुहर अदालत के आज तारीख 17/6/2016 ... की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

दस्तखत

ओहदा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) दूदू — सत्यमेव जयते

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
...प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
...ताना वकील			खर्चा गवाहान		
... गवाहान			फीस कमिश्नर		
... कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
... इजराय हुक्मनामा			गुतफारिक		
...रिक					
मीजान			मीजान		

...स खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(२) 7. सतीश कुमार पुत्रान रामकरण, 8. शिवकरण पुत्र मूल सहाय जाति बैरवा, नि० अवानियां, तह० सांगानेर
9. तहसीलदार, तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

(२)

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख० नं०	रकबा हे०
1.	जगदीश वर्मा पुत्र रामचन्द्र वर्मा जाति बलाई नि० ग्राम हिम्मतपुरा पोस्ट मुंडियारामसर तहसील जिला जयपुर खातेदार।	1664 1666 1667 1668 1669 1670 1672 1681	0.67 0.38 0.18 0.11 0.13 0.18 0.14 0.17
		8	1.96
2.	कल्याण पोखूराम पि० नारायण हि० 8/15 बैरवा निवासी बैरवा निवासी रामगंज? रमेशचन्द्र सतीश कुमार पि० रामकरण प्र. हि. ब. हि. 4/15 शिवकरण पुत्र मूला हि० 3/15 कौम बैरवा नि० अवानिया खातेदार।	1672 1673 1674 1675 1671 1678 1679 1680 1681	0.23 0.10 0.13 0.18 0.30 0.10 0.13 0.02 0.22
		9	1.41
3.	शामलाती खाता मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर रहा।	1665	0.22

Scanned by CamScanner

तहसीलदार मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।
वादी द्वारा प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 के विरुद्ध चाहा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष, स्वीकार कर प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह निर्णयानुसार वादी के हिस्से में आयी आराजियात वादी के काश्त कास्त में दखलअंदाजी न स्वयं न किसी अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना स्वयं वहन करें।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते

	रकबा हे.
	0.67
	0.38
	0.18
	0.11
	0.13
	0.18
	0.14
	0.17
	1.96
	0.23
	0.10
	0.13
	0.18
	30
	10
	3
	2
	2